



Neutral Citation No. - 2026:AHC:174907

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7899

सन् 2026

सत्यबीर भारती उर्फ शक्ति भारद्वाज

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता :

नीरज सिंह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 58 सन् 2026 के तहत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4, 5, 6 और 7 के तहत थाना - राजातालाब, जिला वाराणसी में इस प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है कि आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस ने एक सूचनाकर्ता से मिली जानकारी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं है। हालांकि, उसका दूसरा नाम 'शक्ति भारद्वाज' बताया गया है, जबकि उसे 'शक्ति भारती' के नाम से जाना जाता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोप स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यालय चलाने का है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक के पास स्पा सेंटर के लिए श्रम लाइसेंस है। जिस जगह की बात हो रही है, वह मनोज कुमार गुप्ता की थी और उस संपत्ति का एग्रीमेंट मनोज कुमार गुप्ता ने अनिल कुमार के पक्ष में किया था। आवेदक मौके पर मौजूद नहीं था और उसे सिर्फ इसलिए फंसाया गया है क्योंकि उसके पास स्पा सेंटर के लिए वैध श्रम लाइसेंस था। आवेदक स्पा सेंटर के रोजमर्रा के कामकाज के लिए ज़िम्मेदार नहीं था। स्पा सेंटर चलाना गैर-कानूनी नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा है कि प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति मुख्य अभियुक्त है। वही स्पा सेंटर चला रहा था और महिलाओं की अनैतिक तस्करी के धंधे में शामिल था। सह-अभियुक्तों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया है। उस जगह से मोबाइल फ़ोन, कंडोम जैसी आपत्तिजनक चीज़ें और नक़द पैसे बरामद हुए हैं। स्पा सेंटर के अलग-अलग कमरों में जोड़े आपत्तिजनक हालत में पाए गए। इसमें कोई शक नहीं कि स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यालय चलाया जा रहा था।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. बताया गया है कि आवेदक के पास श्रम विभाग का वैध प्रमाण पत्र है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह माना गया है कि जिस संपत्ति की बात हो रही है, उसका लीज़ एग्रीमेंट संपत्ति के मालिक ने अनिल कुमार के पक्ष में किया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. ऊपर बताई गई प्रकरण की सभी बातों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम ज़मानत देना उचित समझता हूँ।

8. आवेदक का अग्रिम ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।



9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **सत्यवीर भारती** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करेगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

- i. जब भी ज़रूरत हो, आवेदक पुलिस अधिकारी के समक्ष पूछताछ के लिए हाज़िर होगा।
- ii. आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके।
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़कर नहीं जाएगा।
- iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा या उसे डराएगा-धमकाएगा नहीं।

10. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियाँ केवल इस अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निर्णय के लिए हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

19 अगस्त, 2026

कुशल